राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

चौथा तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006

फोन न0 : 0141–2740841,फैक्स न0 : 0141–2740676,

वेबसाईट : www.rajexcise.gov.in ई–मेल : dgmpurchase.rsgsm@rajsathan.gov.in

अल्पकालीन ई–बिड आमंत्रण सूचना

संस्थान के मदिरालय भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं अलवर पर

लोडिंग व अनलोडिंग कार्य की सेवाओं के उपापन हेतु दर संविदा

द्वि–भाग बिड

भाग– प्रथम

तकनीकी बिड

बिड क्रमांक–आरएसजीएसएम / लोडिंग अनलोडिंग / खुली बिड / 2022–23 / 24   दिनांक 12.09.2022

प्री–बिड बैठक दिनांक एवं समय	:	दिनांक 15.09.2022 को दोपहर 3.00 बजे
बिड सबमिशन प्रारम्भ दिनांक एवं समय	:	दिनांक 16.09.2022 को प्रातः 11.00 बजे से
बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 22.09.2022 को दोपहर 01.00 बजे तक
बिड प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 22.09.2022 को दोपहर 01.00 बजे तक
तकनिकी बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान	:	दिनांक 22.09.2022 को सांय 04.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय	:	वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से दी जावेगी
बिड प्रपत्र मूल्य	:	रूपये 2360 जीएसटी सहितमात्र
बिड प्रोसेसिंग मूल्य	:	रूपये 1000 मात्र

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

चौथा तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006
फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स न0 : 0141–2740676

अल्पकालीन ई–बिड आमंत्रण सूचना

बिड कमांक–आरएसजीएसएम/लोडिंग अनलोडिंग/खुली बिड/2022–23/24 **दिनांक 12.09.2022**

1. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन स्थापित मदिरालय भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं अलवर पर लोडिंग/अनलोडिंग कार्य हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी से अल्पकालीन ई–बिड आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है–

कार्य	कुल अनुमानित व्यय राशि	बिड प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेगिस फीस	बोली प्रतिभूति राशि	बोली की वैधता अवधि	बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	बिड खोलने की तिथि एवं समय व स्थान
भरतपुर	रू. 7.88 लाख	रू. 2360 (जीएसटी सहित) मात्र एवं रू. 1000 मात्र	अनुमानित व्यय राशि का 2 प्रतिशत (मदिरालय वार विवरण एनेक्सर ई पर देखें)	90 दिवस	दिनांक 22.09.2022 दोपहर 1.00 बजे तक	दिनांक 22.09.2022 को सांय 4.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर
धौलपुर	रू. 3.20 लाख					
सवाईमाधोपुर	रू. 4.50 लाख					
अलवर	रू. 3.75 लाख					

2. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक द्वारा बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। संस्थान में वर्तमान में सेवारत कार्मिक के परिवार के सदस्यों द्वारा भी बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवार की श्रेणी में दादा, दादी, माता, पिता, पत्नी, पुत्र ,पुत्री (दत्तक पुत्र ,पुत्री सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे। यदि संस्थान में कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार (उपरोक्तानुसार वर्णित परिवार के सदस्यों के अलावा) द्वारा बिड में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा।
3. बिड प्रपत्र वेबसाइट www.rajexcise.gov.in or www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. **<u>ई–बिड प्रस्तुतीकरण के लिये बिडर्स हेतु निर्देशः–</u>**

क बिड में भाग लेने वाले बिडर को इन्टरनेट वेब साइट eproc.rajasthan.gov.inपर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC, Type-III), इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट– 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्टॉनिक बिड में साइन करने हेतु काम आयेगा। बिडर उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सी. सी. ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिड दाताओं के पास E-Procurement Portal के लिए पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

ख बिडर को बिड प्रपत्र इलेक्टॉनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

ग इलेक्ट्रोनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडर यह सुनिश्चित कर लेवे कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी हैं।

घ कोई भी बिड इलेक्ट्रोनिकी फार्मेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आरएसजीएसएम की नहीं होगी।

ङ बिड प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

च ऑन लाईन बिड भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप बिड प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए आरएसजीएसएम की जिम्मेदारी नहीं होगी।

छ बिडर, यदि आवश्यक हो तो, ऑनलाईन बिड सबमिशन के प्रशिक्षण हेतु सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, प्रथम तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के ई–प्रोक्यरमेन्ट सेल हेल्पडेस्क न. 0141–4022688, ई–मेलः eproc@rajasthan.gov.in वेबसाईटः www.eproc.rajasthan.gov.in से सम्पक्र कर सकते है।

ज बिड में सभी संशोधन बिड जारी करने के उपरान्त eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ही जारी किये जावेंगे। बिडर द्वारा वेब (ई–मेल) पर संशोधनों/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

झ बिड शुल्क (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में), बिड प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में) के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ऑनलाईन जमा विवरणी एवं एनेक्सर 'बी' (रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) ऑफलाईन बन्द लिफाफे में बिड प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि एवं समय तक क्रय अनुभाग, आरएसजीएसमएम, सहकार भवन में जमा कराना होगा, ऑनलाईन जमाकर्ता ई–मेल से भी सूचित कर सकेगें। अन्य कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार नहीं किये जावेगें।

ञ बिडर यह भी सुनिश्चित करे कि बिड संबंधी एवं चैक–लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं बिड प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षरित एवं मोहरबंद कर ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करें। ऐसा करने में असफल पाये जाने पर बिडर को तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

Dy. General Manager (Purchase)

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

बिडर्स के लिये निर्देश	
बिड क्रमांक	आरएसजीएसएम / लोडिंग अनलोडिंग / खुली बिड / 2022–23 / 24
उपापन संस्थान	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
उपापनीय सेवा का विवरण	मदिरालय भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं अलवर पर लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य
बिड प्रपत्र का मूल्य	रू. 2360 जीएसटी सहित का RSGSM Ltd.,Payable at Jaipur के पक्ष में जारी चैक / डीडी व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय अनुभाग में निर्धारित तिथि व समय पूर्व / तक पहुंचाना अनिवार्य है।
बिड प्रोसेसिंग का मूल्य	रू. 1000 का MD, RISL,Payable at Jaipur के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक / डीडी व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय अनुभाग में निर्धारित तिथि व समय पूर्व / तक पहुंचाना अनिवार्य है।
बिड जिसको प्रस्तुत करनी है, अथवा कोई स्पष्टिकरण वाछिंत है	उप महाप्रबंधक (क्रय) , राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, चतुर्थ तल, नेहरू सहकार भवन, जयपुर। फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स : 0141–2740676 ई–मेल : dgmpurchase.rsgsm@rajasthan.gov.in
प्री बिड बैठक	हाँ, 15.09.2022 दोपहर 3.00 बजे
बिड की भाषा	हिन्दी व अंग्रेजी
बिडर को बिड के साथ संलग्न करना है–	बिड की शर्तों एवं चैक लिस्ट में उल्लेखानुसार दस्तावेज
दरों की वैधता अवधि	तकनीकी बिड प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिवस
बोली प्रतिभूति राशि	एनेक्सर 'ई' में वर्णितानुसार
अधिकृत करना	बिडदाता के लैटर हैड पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी या अधिकृति पत्र
बिड प्रपत्र को डाउनलोड करना	rajexcise.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in, or sppp.rajasthan.gov.in पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।
बिड डाउनलोड व अपलोड करने का अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 22.09.2022 को दोपहर 1.00 बजे तक वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in
तकनिकी बिड डाउनलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 22.09.2022 सांय 4.00 बजे, मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर।
वित्तीय बिड डाउनलोड करने की दिनांक व समय	ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज प्रणाली के माध्यम से दी जावेगी।
अवधि जिसमें जमानत राशि जमा कराकर अनुबंध का निष्पादन किया जाना है	एल.ओ.ए. जारी करने के 15 दिवस में करना होगा, अन्यथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
प्रथम अपील प्राधिकारी का पदनाम व पता	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम व पता	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि0 के संचालक मंडल द्वारा नियुक्त दो निदेशक ।

मैं / हम ——————————————(व्यक्ति / फर्म / कंपनी आदि) बहैसियत ————————————(पदनाम / प्रास्थिति) द्वारा समस्त बिड दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

लिया गया है एवं इसके समस्त प्रावधानों व शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा स्वीकारोक्ति स्वरूप सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर कर दिये गये हैं। मेरी/हमारी जानकारी निम्नानुसार है–

व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम ——————————————————

——————————————————

——————————————————

कार्यालय पता ——————————————————

——————————————————

——————————————————

फैक्ट्री का पता ——————————————————

——————————————————

——————————————————

दूरभाष संख्या कार्यालय ——————————————————

निवास ——————————————————

फैक्ट्री ——————————————————

फैक्स ——————————————————

ई–मेल ——————————————————

मोबाईल——————————————————

वैधानिक विवरणः–

फर्म/कंपनी/एक्ट में पंजीयन ——————————————————

माल एवं सेवा कर पंजीयन (GSTIN) ——————————————————

आयकर विभाग पंजीयन(पैन) ——————————————————

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

श्रम विभाग अनुज्ञा पत्र संदर्भ ————————————————

पीएफ कोड ————————————————

ई0एस0आई0 विवरण ————————————————

माल एवं सेवा कर (GST)जमा की विवरणी का संदर्भ ————————————————

बोली प्रतिभूति राशि मय मदिरालय का विवरण

डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या एवं दिनांक ————————————————

डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक राशि ————————————————

बिडर का बैंक का नाम ————————————————

बैंक खाता संख्या एवं आरटीजीएस न0 ————————————————

हस्ताक्षर ————————————————

नाम व पदनाम हस्ताक्षरकर्त्ता ————————————————

<u>नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें।</u>

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य हेतु बिड के संबंध में विशेष शर्ते/नियम

टिप्पणी–लोक उपापन के संबंध में " राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 " एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 प्रभावशील हैं एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अतः समस्त बिडर को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इन नियमों से भलीभांति परिचित हो लेवे। यदि लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा इस बोली दस्तावेज के किन्हीं प्रावधानों के बीच विसंगति हो तो अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में उल्लेखित प्रावधान तथा आशय ही मान्य/प्रभावी रहेगा।

1. मदिरालय भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं अलवर पर लोडिंग/अनलोडिंग कार्य हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी से ई–बिड आमंत्रित की जाती है।
2. **कार्य का विवरणः–** संबंधित मदिरालय पर देशी मदिरा कार्टन एवं सामानों /स्टोर सामग्री का वाहनो में लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त खाली बोतलों/अद्धे/पव्वों को वाहनों से अनलोड करके गोदाम परिसर में व्यवस्थित ढंग से रखना, बोतल/अद्धे/पव्वों के चट्टे लगाकर गिनती करवाना, व्यवस्थित रूप से रखना। सफल बिडर को प्रत्येक रविवार के दिन आवश्यकतानुसार अपने मजदूर लगाकर गोदाम परिसर की सफाई करवानी होगी जिसमें टूटा कॉच एक स्थान पर एकत्रित करना आदि कार्य करने होंगे। कार्य के दरम्यान फैलाये गये कचरे की सफाई भी करनी होगी।
3. सफल बिडर्स को वाहन के मदिरालय में पहुंचने के तीन घंटे के अन्दर–अन्दर खाली बोतलें/अद्धे/पव्वे वाहन से अनलोड करने अथवा भरी बोतलों/अद्धे/पव्वों के कार्टन/कट्टे/कैरट्स वाहन में लोड करने का कार्य शुरू करवाना आवश्यक होगा अन्यथा विलम्ब की स्थिति में 200/– रू प्रति घंटे की दर से शास्ती वसूली की जायेगी।
4. लोडिंग/अनलोडिंग हेतु प्रभार दरें निम्नानुसार रहेंगी–

क्र.सं.	माल/सामान	प्रभार दर (माल एवं सेवा कर (GST) अतिरिक्त) (लोडिंग / अनलोडिंग दोनों के लिये मान्य)
1	खाली बोतल/अद्धे /पव्वा (पेट व कांच दोनों)	रू. 1.20 प्रति बोरी/पैक/कार्टन
2	पी.पी सील	रू. 1.20 प्रति बोरी/पैक/कार्टन
3	लेबल्स	रू. 1.20 प्रति पैक/कार्टन
4	बीओपी टेप रोल	रू. 1.20 प्रति पैक/कार्टन
5	गोंद	रू. 1.20 प्रति टिन/डिब्बा/कार्टन
6	खाली कर्टन/पैंकिंग सामग्री	रू. 1.20 प्रति बोरी/पैक/कार्टन
7	अन्य	रू. 1.20 प्रति, जो भी हो
8	देशी/ भा.नि.वि./ रा.नि. मदिरा की भरी पेटियां	रू. 1.50 प्रति केस/पेटी/कार्टन

5. बिडर को बिड के साथ पी.एफ/ई.एस.आई/GST रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं पेन नम्बर उपलबध कराना होगा, जिसके अभाव में बिड निरस्त की जा सकेगी।
6. मदिरालय भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं अलवर हेतु आमत्रिंत बिड हेतु वार्षिक व्यय लगभग रू. 19,33,000/– का आंकलन किया गया है। उक्त आधार पर ऑफर मात्रा मूल्य की 2 प्रतिशत के आधार पर सम्पूर्ण बिड राशि की बोली प्रतिभूति राशि रूपये 38,660/– बनती है। बिडर द्वारा एक या एक से अधिक मदिरालय हेतु बिड प्रस्तुत करने की स्थिति में एनेक्सर ''ई'' में वर्णित अनुसार बोली प्रतिभूति राशि जमा कराई जानी होगी। उक्तानुसार जमा बोली प्रतिभूति राशि के आधार पर बिड के ऑन–लाईन स्वीकार नहीं होने की स्थिति में बोली प्रतिभूति राशि के कॉलम में रूपये 38,660/– वर्णित करें तथा उक्तानुसार गणना करते हुये बिड शर्तो में वर्णित अनुसार वास्तविक बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी./बैंकर चैक/ऑनलाईन जो ''राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड'' के नाम देय हो, की स्केन प्रति बिड प्रपत्र के साथ संलग्न करें। बिडर द्वारा जिन

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

मदिरालयों हेतु बोली प्रतिभूति राशि जमा कराई गई केवल उसी के लिये वित्तीय बिड में दरें प्रस्तुत करनी होगी अन्य किन्हीं भी मदिरालयों हेतु दरें प्रस्तुत करने पर उसकी बिड अस्वीकार योग्य होगी।

7. सफल बिडर को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमानित राशि की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। इस राशि में बिड के साथ जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि की राशि समायोजित की जा सकेगी तथा शेष राशि अतिरिक्त जमा करानी होगी। उक्त समस्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित हो जाने के पश्चात ही उक्त राशि लौटायी जायेगी।
8. चूंकि लोडिंग–अनलोडिंग के कार्य हेतु बिडर द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल के अधीनस्थ मदिरालय/डिपो के कैंपस का उपयोग किया जाता है, अतः सफल बिडर द्वारा उक्त कार्य हेतु जीएसएम को मौद्रिक प्रतिदान देना होगा। लोडिंग–अनलोडिंग की उक्तानुसार निर्धारित दरों पर कार्य/सेवा प्रदान करते हुए सर्वाधिक मौद्रिक प्रतिदान प्रस्तावित करने वाले बिडर (एच–1) को उस मदिरालय के लिये अलग–अलग सफल बिडर घोषित किया जावेगा। बिडर को मौद्रिक प्रतिदान की राशि बिड के अन्तर्गत BOQ में स्पष्ट रूप से भरना होगा।
9. मौद्रिक प्रतिदान के रूप में बिडर द्वारा एक या एक से अधिक मदिरालयों के लिये बिड प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसी स्थिति में बिडर को आवेदन किये जाने वाले मदिरालयों जिनका विवरण परिशिष्ट ई में दिया गया है, के लिये सम्मुख अंकित मदिरालयवार वार्षिक अनुमानित व्यय के क्रम में मदिरा केसेज गारंटी को ध्यान में रखते हुए दरें प्रस्तुत करनी होगी।
10. बिडर को मदिरालय विशेष हेतु एनेक्सर ई में वर्णित न्यूनतम ठेका राशि या उससे अधिक दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कम अथवा अपर्याप्त दरें प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा।
11. बिडर को आवेदन किये जाने वाले मदिरालय पर भी लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य किया जाना होगा।
12. बिडर को मदिरालय हेतु BOQ में अलग–अलग दरें प्रस्तुत करनी होगी। उच्चतम बिडर (एच–1) का निर्धारण बिडर द्वारा आवेदित मदिरालय के क्रम में प्रस्तावित सर्वाधिक मौद्रिक प्रतिदान राशि (जीएसटी अतिरिक्त) के आधार पर मदिरालय हेतु एच–1 का निर्धारण अलग–अलग किया जाएगा।
13. सफल बिडर को आंवटित मदिरालय के लोडिंग–अनलोडिंग कार्य सफलता पूर्वक निष्पादित करने होगें। मदिरालय अथवा किसी भी डिपो पर लोडिंग अनलोडिंग कार्य के अन्तर्गत उदासीनता बरतने अथवा असफल रहने की स्थिति में बिडर की मदिरालय के लिये जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि + 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ जब्त करते हुए आंवटित कार्य / अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
14. बिडर को एक माह की संविदा राशि संस्थान में अग्रिम जमा करानी होगी। लोडिंग/अनलोडिंग कार्य के पेटे मदिरालय प्राप्य प्रभार को संबंधित सेवा प्रापक से प्राप्त कर जमा कर लिया जावेगा तथा माह की समाप्ति के बाद सफल बिडर द्वारा मदिरालय दावा प्रस्तुत करने पर आगामी माह की मासिक संविदा राशि (मय जीएसटी) एवं अन्य करों की कटौती करके शेष राशि का बिडर को भुगतान किया जायेगा। मासिक संविदा राशि पर जीएसटी संस्थान द्वारा राजकीय कोष में जमा कराई जावेगी।
15. लोडिंग व अनलोडिंग कार्य करने वाले श्रमिकों को देय पारिश्रमिक राशि पर ई.एस.आई/ई.पी.एफ, माल एवं सेवा कर (GST) एवं अन्य कर बिडर को वहन करने होंगे। निर्धारित तिथि तक आपके द्वारा ई.पी.एफ/ई.एस.आई की राशि जमा करवाकर चालान की एक प्रति प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करानी होगी तथा छाया प्रतिलिपी बिल के साथ भी संलग्न करनी होगी। ई.पी.एफ/ई.एस.आई रिटर्न बिडरद्वारा ही भरी जावेगी एवं श्रमिकों के ई.पी.एफ/ई.एस.आई समस्त हित/लाभ दिलवाने की जिम्मेदारी बिडर की होगी।
16. खाली बोतल, अद्धे एवं पव्वे में तथा अन्य पैकिंग मैटिरियल सामग्री में बिडर द्वारा रखे गये श्रमिकों की वजह से कम्पनी को कोई हानि होती है तो उसका उत्तरदायित्व बिडरका होगा।
17. मदिरालय पर माल की आवक जावक पर अनुमानित वार्षिक व्यय के आंकड़े एनेक्सर ''ई'' में दर्शाये गये हैं। फिर भी इनमें कमी बेशी संभव है, जिस हेतु बिडर का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
18. बिड में उल्लेखित कार्य हेतु बिडर को नियमानुसार आवश्यक होने पर लेबर रेग्यूलेशन एक्ट के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड अबोलिशन) एक्ट, 1970 एवं बाद में उक्त एक्ट में किये गये संशोधन सहित इसके समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

19. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
20. बोतल, अद्धे व पव्वें एवं अन्य मैटेरियल लोडिंग अनलोडिंग का भुगतान गणना के आधार पर मासिक रूप से मदिरालय प्रभारी अधिकारी द्वारा रिकार्ड से वैरीफिकेशन के पश्चात किया जावेगा।
21. कार्य करने वाले श्रमिकों के नाम, पत्ते प्रतिदिन मदिरालय/डिपो प्रभारी को नोट करवायेंगे तथा बिडर अपने रजिस्टर में भी उनके संबंध में सूचना रखेंगे एवं श्रमिकों का विवरण सुरक्षा गेट पर प्रतिदिन नोट करायेंगे। यथासंभव श्रमिकों के आधार कार्ड या अन्य पहचान दस्तावेज (आई डी प्रमाण) की एक प्रति स्वयं के अभिलेख में अवश्य रखें।
22. आबकारी एवं संस्थान के नियमानुसार लोडिंग अनलोडिंग कार्य करवाना होगा। श्रमिकों द्वारा किसी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियां/अपराधिक मामलों में लिप्त पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडर की होगी। संस्थान को संबंधित श्रमिक के कारण होने वाले नुकसान की वसूली बिडर से की जाकर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
23. आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में संस्थान द्वारा आंशिक अथवा सम्पूर्ण आदेश निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आपका कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
24. उपर्युक्त कार्य में प्रयुक्त सभी कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त विधिक प्रावधानों/दायित्वों के लिये बिडर उत्तरदायी होंगे।
25. बिडर द्वारा लोडिंग अनलोडिंग पर कार्य करने के लिये अनुभवी श्रमिकों को ही लगाया जावेगा एवं कोई भी बाल श्रमिक नहीं रखा जायेगा।
26. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कम्पनी के प्रभारी संचालक के द्वारा किसी भी अधिकारी को सोल ऑर्बीट्रेटर नियुक्त किया जा सकेगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
27. उक्त अंकित दरें आपके कार्यादेश जारी करने की तिथि से 9 माह तक के लिये है। लेकिन संस्थान को आवश्यकता होने की स्थिति में तीन माह तक समयावधि बढाई जा सकती है।
28. इस अनुबन्ध के तहत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में सम्बन्धित क्लॉज के तहत कानूनी कार्यवाही के लिये वाद क्षेत्र जयपुर अवस्थित न्यायालय होगा।
29. लोडिंग अनलोडिंग कार्य मांग अनुसार नहीं करने पर उचित नोटिस जारी कर बिडर के रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य स्त्रोतों से कार्य करवाया जावेगा।
30. स्टॉम्प्स रूल्स के अनुसार निर्धारित राशि के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर बिडरको अनुबन्ध करना होगा एवं स्टाम्प राशि का व्यय भार स्वयं को ही वहन करना होगा।
31. सभी राजकीय/केन्द्रीय नियमों की पालना करनी होगी तथा बिडरके बिलों में से नियमानुसार आयकर/ GST या अन्य वैधानिक कटौतियां की जावेगी।
32. बिडर को श्रम नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा एवं पैनकार्ड की प्रतिलिपी बिड के साथ उपलब्ध करानी होगी।
33. बिड प्रपत्र अनुबन्ध का भाग होगा।
34. अन्य नियम व शर्ते जिनका उल्लेख इस बिड की शर्तों में नहीं किया गया है, आवश्यकता होने पर आरटीपीपी एक्ट, 2012 व आरटीपीपी नियम, 2013 के अनुसार शर्ते लागू होगी।
35. अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने या कार्य सन्तोषजनक नहीं करने की स्थिति में इस अनुबन्ध के अन्तर्गत जमा कार्य सम्पादन राशि आंशिक अथवा पूर्ण + 18 प्रतिशत जी. एस.टी के साथ जब्त की जा सकेगी।
36. यदि सफल बिडर को कोई श्रमिक कार्य सही ढंग से नहीं करता है एवं कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे हटाना होगा।
37. दो प्रतियो में सत्यापित बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।
38. दर मासिक आधार पर ही वित्तीय बिड में प्रस्तुत की जावे। माल एवं सेवा कर (GST) पृथक से देय होगा अतः माल एवं सेवा कर (GST) की दर को वित्तीय बिड में पृथक से दर्शायें। अगर पृथक से नही दर्शाया जायेगा तो यह माना जायेगा कि प्रस्तुत दर माल एवं सेवा कर (GST) सहित है।
39. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक द्वारा बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। संस्थान में वर्तमान में सेवारत कार्मिक के परिवार के सदस्यों द्वारा भी बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवार की श्रेणी में दादा, दादी, माता, पिता, पत्नी, पुत्र ,पुत्री (दत्तक पुत्र ,पुत्री सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे।यदि संस्थान में

कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार (उपरोक्तानुसार वर्णित परिवार के सदस्यों के अलावा) द्वारा बिड में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्रबिड के साथ संलग्न करना होगा।

40. कार्य आदेश के उपरान्त किसी भी समय ठेका समाप्ति के संबंध में संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा। संस्थान चाहे तो अन्य मदिरालय के टेण्डर प्रक्रिया में किसी भी मदिरालय को कभी भी जोड़ सकेगा।

41. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(8) वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2014 के अनुसार बिड प्रपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर ए,बी,सी,डी की शर्तो की पूर्ण पालना कर टेण्डर फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

42. ई–तकनीकी बिड इस ई–बिड का अंग होगी। इसमें सफल बिडर की ही वित्तीय ई–बिड खोली जावेगी।

43. यदि सामान्य शर्तों एवं विशेष शर्तों में कोई विरोधाभास हो तो विशेष शर्त में विहित आशय ही मान्य किया जावेगा।

44. बिडर को बिड प्रपत्र के एनेक्सर ''बी'' की 100/–रू. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

45. बिडर का राजस्थान ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (यदि लागू हो) /राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 अथवा इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत अथवा इण्डियन कम्पनी एक्ट 1932 के अन्तर्गत लाईन्सेस/रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

46. बिडर/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क्र.सं.	विवरण	लाईन्सेस/रजि. सं.	दिनांक	वर्ष	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956/2013 के अन्तर्गत				

47. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

48. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

49. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

50. वित्त (G&T)विभाग के परिपत्र सं. 1/2018 दिनांक 30.04.2018 सपठित श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 के क्रम के सफल बिडर को जॉब बेसिस कार्य सम्पादित कराने हेतु प्रयुक्त ठेका श्रमिको को निम्नानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी व सम्मुख अंकित EPF,EDLI,ESI भुगतान करना होगाः–

क्र.म.	श्रमिक	न्यूनतम	EPF	Admistration and	ESI

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

		मजदूरी		EDLI Charges	
1	उच्च कुशल	8658/—	श्रमिक—12 %	ठेकेदार—0.55 %	श्रमिक—1.75 %
			ठेकेदार—12 %		ठेकेदार—4.75 %
2	कुशल	7358/—	श्रमिक—12 %	ठेकेदार—0.55 %	श्रमिक—1.75 %
			ठेकेदार—12 %		ठेकेदार—4.75 %
3	अर्ध्द कुशल	7046/—	श्रमिक—12 %	ठेकेदार—0.55 %	श्रमिक—1.75 %
			ठेकेदार—12 %		ठेकेदार—4.75 %
4	अकुशल	6734/—	श्रमिक—12 %	ठेकेदार—0.55 %	श्रमिक—1.75 %
			ठेकेदार—12 %		ठेकेदार—4.75 %

नोट :— उक्त न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में कार्यादेश अवधि के दौरान परिवर्तन होने की स्थिति में परिवर्तित दरों के अनुसार भुगतान ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को दिया जावेगा।

51. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

52. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि से संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

53. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display board लगाये जायेगें जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

54. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

55. संवेदक द्वारा श्रमिकों कों देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रुप के देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करावाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही आगामी माह के बिल में जी.एस.टी. का भुगतान किया जावेंगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

56. श्रम विधिओं के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधिओं के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा—निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

57. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये ठेका श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

58. नियोजित ठेका श्रमिकों के द्वारा 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विहित प्रावधानों के अनुसार ही उन्हें को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बिडर का होगा।

59. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध /संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/ सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
60. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और , नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार कराने की कार्यवाही करगी।
61. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृति करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
62. उपापन संस्थान द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
63. कार्यानुभवः– बिड के अन्तर्गत ऐसे बिडर ही भाग ले सकेगें जिनके पास गत तीन वर्षों में औसत टर्नओवर रूपये 10.00 लाख या अधिक हो, इस हेतु सनदी लेखाकार (CA) से टर्नओवर सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति बिड दस्तावेज के साथ करनी होगी।
64. बिड से संबंधित अवधि के लोडिंग व अनलोडिंग कार्य पर अनुबन्ध अवधि के दौरान अथवा समाप्ति के पष्चात् भी यदि श्रमिकों को देय पारिश्रमिक राशि/ पारिश्रमिक राषि पर ई.एस. आई/ई.पी.एफ./ माल एवं सेवा कर (GST), अन्य कर एवं अन्य कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न होता है, तो सभी दायित्वों का निर्वहन अनुबंधित बिडर को वहन करना होगा एवं सभी दायित्वों की राशि बिडर द्वारा जमा कराया जाना होगा। बिडर द्वारा समय पर राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में यदि ई.एस.आई./ई.पी.एफ./जी.एस.टी. इत्यादि संस्थाओ की बकाया राशि/शास्ती संस्थान पर आरोपित होती है तो उसकी वसूली बिडर से की जाएगी।
65. यदि बिडर एक से अधिक मदिरालय पर सफल होता है एवं यदि उसके द्वारा एक स्थान पर कार्यरत श्रमिकों के ई.एस.आई. का चालान अन्य मदिरालयों पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसके विरूद्ध ई.एस.आई./पी.एफ. के अधीन नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी एवं समस्त देयता बिडर की जिम्मेवारी होगी।
66. किसी बिडर को कार्यादेश में आवंटित मदिरालय की संख्या कम हो सकती है, जिस हेतु बिडर को 15 दिवस पूर्व सूचित किया जाएगा। इस हेतु मदिरालय की संख्या निर्धारण पर बिडर/ठेकेदार की कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
बिड एवं संविदा के लिये सामान्य शर्तें

नोट–यदि सामान्य शर्तों व विशेष शर्तों में विरोधाभास हो तो विशेष शर्त का आशय ही मान्य होगा। यदि सामान्य व विशेष शर्त का आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम, 2013 से विरोधाभास हो तो आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम, 2013 का अर्थ ही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

1. बिडर को बिड सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में बिड ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना संस्थान को लिखित में बिडर द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को बिडर द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए बिडर की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।
3. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। (ऑनलाइन हेतु मान्य नहीं)
4. विधिमान्यता :–बिड, उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
5. बिडर अपने संविदा कार्य को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या सब–कोन्ट्रेक्ट पर नहीं देगा।
6. निरीक्षण :– (क) संस्थान या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एंव कर्म कौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।
   (ख) बिडर अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्क्रशाप के परिसर का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पक्र करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय संस्थान की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बिडर को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद संस्थान किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
8. बिडर या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्य़क्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
9. बोली प्रतिभूति राशि :–
   (1) बिड के साथ बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बिड पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि आरएसजीएसएम के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–
   क शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।
   ख ऑनलाइन जमा।
   (2) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय :– असफल बिडर की बोली प्रतिभूति राशि बिड को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद 60 दिवस में लौटायी जाएगी।
   (3) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्‌द की गयी बिड के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

सम्पादन राशि को नयी बिड के लिए बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

10. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण :—बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :—
   (1) जब बिडर बिड खोलने के बाद किन्तु बिड को स्वीकार करने के पूर्व, प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
   (2) जब बिडर विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
   (3) जब बिडर प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन राशि जमा नहीं कराता है।
   (4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

11. करार एंव कार्य सम्पादन राशि :—
   (1) सफल बिडर को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा बिड के कुल मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन राशि जमा करानी होगी। यह कार्य सम्पादन राशि क्रार्यादेश जारी होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी ।
   (2) बिड के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन राशि के लिए समायोजित किया जाएगा।कार्य सम्पादन राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी ।
   (3) कार्य सम्पादन राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
   (4) कार्य सम्पादन राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :—
      क बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।
   (5) कार्य सम्पादन राशि का समपहरण :—प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :—
      क जब संविदा के किन्हीं निबन्धनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
      ख जब बिडर सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा है।
      ग प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।
   (6) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बिडर द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

12. भुगतान :—
   (1) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बिडर द्वारा संस्थान को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बिडर द्वारा वहन किए जाएंगे।
   (2) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
   (3) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

13. वसूलियां :— परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन राशिसे की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

14. यदि बिडर ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बिड को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि संस्थान द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

15. संस्थान किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से अधिकतम दर की बिड नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बिडर ने बिड दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को समान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपनी पास आरक्षित रखेगा।

16. बिडर करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–
    (1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति ।
    (2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
    (3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एंव कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
    (4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

17. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जायेगा।

18. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बिडर) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

19. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं जावेगी।

20. निर्धारित तिथि एवं समय पर अपलोड की गई बिड को मुख्यालय की उपापन समिति (क्रय समिति) द्वारा बिडर या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला(डाउनलोड) जावेगा।

21. बिडर की तकनिकी बिड में सफल होने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी, तथा वित्तीय बिड खोलने की सूचनाई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से बिडर को प्राप्त हो जावेगी।

22. तकनिकी बिड के साथ माल एवं सेवाकर पंजीयन (GSTN)/ईएसआई/पी.एफ./आयकर विभाग से पैन नंबर आदि की सत्यापित प्रतियाँ बिडर द्वारा बिड प्रपत्र के साथऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। इनके अभाव में बिड को अस्वीकार कर दिया जावेगा।

23. संबंधित सफल बिडर को स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर–2 अनुबंध करना होगा व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबंध के समय पर जमा करानी होगी।

24. संस्थान न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी। साथ ही बिना कारण बताये बिड को निरस्त किया जा सकेगा।

25. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार –यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

Annexure E

लोडिंग/अनलोडिंग हेतु

अनुमानित वार्षिक व्यय, बोली प्रतिभूति राशि एवं न्यूनतम मासिक ठेका राशि का विवरण

क्र. सं.	मदिरालय का नाम	आवश्यक न्यूनततम श्रमिकों की संख्या	आगामी 9 माह में लोडिंग–अनलोडिंग कार्य पर होने वाला अनुमानित व्यय (रू. में)	बोली प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत (रू. में)	न्यूनतम मासिक ठेका राशि (रू. में)
1	भरतपुर	7	7.88 लाख	15760	20000
2	धौलपुर	5	3.20 लाख	6400	11000
3	सवाईमाधोपुर	5	4.50 लाख	9000	16000
4	अलवर	5	3.75 लाख	7500	11000

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

SR FORM-17

AGREEMENT
(See Rule 68)

An agreement made this ……………………day of …………..between …………………………………….. (hereinafter called **"the approved supplier"**, which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and **the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.** (herein after called "**the RSGSM**" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

1. Whereas the approved supplier has agreed with the RSGSM to supply to the_________ of the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd. at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column__________ of the said schedule.

2. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs._____ in _________.

   (1) Cash/Bank Draft/Bank Guarantee /Banker Cheque No.____________________ dated_________.

   (2) Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.

   (3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

3. Now these Presents witness:

   (1) In consideration of the payment to be made by the Government through_____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in_________ and _________ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(2) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No._____ dated_______ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

(3) Letters Nos._______ received from tenderer and letters nos.______ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

(4)

(a) The RSGSM do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the RSGSM will through_______ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

(b) The mode of Payment will be as specified below:-

1.____________________

2.____________________

3.____________________

4. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

a) w.e.f. date of execution of agreement i.e. …………….. to up to one year i.e. ……………..

5. (1)(i)In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply :-

S. No.	Items Quantity	Delivery period
a)	Delay upto onefourth period of the prescribed delivery period.	2½ % + 18% GST
b)	Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period.	5% + 18% GST
c)	Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period.	7½% + 18% GST
d)	Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period.	10% + 18% GST

Note :

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10% + 18% GST

(iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurence of any hinderences, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurence of the hinderence but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hinderences beyond the control of the tenderer.

6. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the......... day of ....201.......

Signature of the approved supplier.

Date:

Witness No. 1

Witness No.2

Signature for and on behalf of Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.

Dy. General Manager (Purchase)

Date:

Witness No. 1

Witness No.2

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

<u>चैक–लिस्ट (तकनीकी बिड)</u>

(तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज)

1.	बिडर का नाम	
2.	हैसियत जिसके तहत बिड प्रस्तुत की जा रही है– 1 व्यक्ति 2 फर्म (साझेदारी डीड की प्रति संलग्न) 3 कंपनी (मेमोरेंडम ऑफ एसोशियेशन की प्रति संलग्न)	
3.	सम्पर्क पता **पिनकोड** **दूरभाष / मोबाईल** **ई–मेल**	
4.	पैन नंबर (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
5.	बोली प्रतिभूति राशि (बैंकर चैक / डीडी का विवरण)	
	बिड प्रपत्र फीस (बैंकर चैक / डीडी का विवरण)	
	प्रोसेसिंग फीस (बैंकर चैक / डीडी का विवरण)	
6.	एनेक्सर "बी" में वर्णित घोषणा (रू.100 / – के नॉन ज्यूडिशीयल स्टॉम्प पेपर पर संलग्न करें)	
7.	वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन संख्या (GSTIN) (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
8.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 1. रजिस्ट्रेशन संख्या 2. वर्ष 3. पंजीकरण दिनांक (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
9.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 1. रजिस्ट्रेशन संख्या 2. वर्ष 3. पंजीकरण दिनांक (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
10.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2(1) / एफ.डी. / एसपीएफसी / 2017 दिनांक 14.11.2018 के क्रम में वचन–पत्र(Undertaking)	
11.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 / 2013 के अन्तर्गत 1. रजिस्ट्रेशन संख्या 2. वर्ष	

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

	3. पंजीकरण दिनांक (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
12.	पूर्व में विभिन्न सरकारी / गैर सरकारी विभाग में प्राप्त अनुभव यदि कोई हो तो, समर्थक दस्तावेज (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
13.	यदि बिडर किसी सरकारी विभाग में किसी श्रेणी में श्रेणीबद्ध हो तो दस्तावेज (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
14.	हस्ताक्षरित बिड प्रपत्र अपलोड	
15.	गत 03 वर्षो में औसत टर्नऑवर सनदी लेखाकार (CA) द्वारा जारी टर्नऑवर सर्टिफिकेट	

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर